प्राविधानित किया गया जिसके आधार पर विचार किया जा रहा है। प्रश्नगत भवन के बेसमेंट का जो भाग भवन के प्रोजेक्शन से बाहर है उसके सलैब का भार वहन क्षमता 45 टन रखा जाना आवश्यक होगा ।

4- निकास मार्ग :-प्रस्तावित भवनों के टावर ए,बी,डी,जी,एफ में दो-दो स्टेयरकेश, तथा टावर- ई में 04 स्टेयरकेश,टावर-सी में प्रथम तल तक 03 स्टेयरकेश व द्वितीय तल से ऊपरी तलों हेतु 02 स्टेयरकेश तथा इलाईट ब्लाक में भूतल से प्रथम तल तक 04 स्टेयरकेश ,प्रथम तल से द्वितीय तल तक 03 स्टेयरकेश व तृतीय तल से ऊपरी तलों तक 02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई 1.5-1 5 मीटर मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिसटेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण -भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

6- इलाईट टावर के भूतल से द्वितीय तल के 404.035-404.035 वर्ग मीटर का उपयोग कॉम0 हेतु तथा भूतल व प्रथम तल के 333.67-333.67 वर्ग मीटर का उपयोग नर्सरी स्कूल हेतु तथा शेष तलों का उपयोग आवासीय हेतु किया जाना मानचित्र में अंकित है प्रस्तावित नर्सरी स्कूल व आवासीय भाग को कॉम0 भाग से 4एच फायर रेटिंग वाल से अलग किया जाना मानचित्र में अंकित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :- एन0बी0 सी0-2005 के अनुसार प्रस्तावित समस्त टावर में निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण किये जाने अनिवार्य है -

1-भूमिगत टैक :- परिसर 200 के0एल0 क्षमता का भूमिगत टैक मानचित्र में अंकित है ।

2-पम्प:- भूमिगत टैंक के पास 4500 एल0पी0एम0 क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प,02 अदद 2280-2280 एल0 पी0 एम0 क्षमता, का विद्युत चालित पम्प तथा 02 अदद जॉकी पम्प 180-180 एल0पी0एम0 क्षमता का लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

3-होजरील :- प्रस्तावित समस्त टावरों में होजरील ,लैडिंग वाल्व,आई0एस0-3844 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

4 -वेटराइजर :-प्रस्तावित समस्त टावरों में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरुप लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

5- प्रस्तावित परिसर में या हाइड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :-मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार समस्त टावरों में लगाया जाना आवश्यक होगा ।

7-स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम :-प्रस्तावित भवन में आवश्यक नही ।

8-स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- प्रस्तावित भवन के सम्पूर्ण बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में अंकित है ,स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा । बेसमेंट मे कम्पार्टमेंटेसन एन0बी0सी0-2005,पार्ट-04 के प्रस्तर सी-1.8 में उल्लिखित मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा

9-टैरिस टैक :-प्रश्नगत भवन के टावर इलाईट में 10000 ली0 व बाकी प्रत्येक टावर के टैरिस पर अग्निशमन कार्य हेतु टैरिस टैक 25000-25000, लीटर पानी के क्षमता का स्थापित किया जाना आवश्यक होगा ।

10-टैरिस पम्प :-प्रश्नगत प्रस्तावित इलाईट टावर को छोडकर समस्त टावरों के टैरिस पर 900-900 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरिस पम्प लगाया जाना आवश्यक होगा ।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिग्यूसर) :-प्रस्तावित समस्त टावरों में फायर एक्सटिग्यूसर आई0एस0 2190-2010के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा ।

12-स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम :-

ए0-फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिंग 2 एच रखा जाना आवश्यक होगा ।

बी 0-सिस्टम की मेकअप एअर हेतु व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।

13 - **एक्जिट साइनेज :** सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

14- प्रश्नगत भवनो में **इमरजेंसी/एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0-2005 ,पार्ट-04 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

15- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैवकार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0-2005,पार्ट-04 के प्रस्तर-सी-05,सी-07,सी-08 व सी-09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।